न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

नि. /3756-II-15

प्रकरण क्रमांक ..../II/2015 निगरानी

(90)

1— बलवीर सिंह बघेल

2— फोजदार सिंह बघेल पुत्रगण श्री अतर सिंह बघेल निवासीगण ग्राम रसूलपुरा तह. सेवढ़ा जिला दतिया म.प्र.

—आवेदकगण

श्री अशोक भार्गव, अभि. द्वारा आज दि. 17-11-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17/11/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1— द्वारका बघेल पुत्र स्व. श्री छुटई बघेल

2— अतर सिंह बघेल पुत्र श्री श्यामलाल बघेल निवासीगण ग्राम रसूलपुरा तह. सेवढ़ा जिला दतिया म.प्र.

—अनावेदकगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 04.11.2015 न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील सेवढ़ा जिला दतिया प्रकरण क्रमांक 1/अ—70/13—14 व उनमान द्वारका बनाम अतर सिंह

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

संक्षिप्त विवरण :—

17.11.15 (अशोक भार्गव)

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित सर्वे नम्बर 2482 रकवा 0.36 हैक्टर जिसका बन्दोबस्त के पूर्व का सर्वे नम्बर नम्बर 775/1 रकवा 0.364 हैक्टर था। उक्त विवादित सर्वे नम्बर 2482 का अनावेदक द्वारका द्वारा गुपचुप रूप से सीमांकन कराया सीमांकन के पश्चात् अनावेदक क्रमांक 2 अतर सिंह को प्रकरण मे पक्षकार बनातें हुये धारा 250 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता का आवेदन पत्र वास्ते कब्जा वापसी हेतु विचारणं न्यायालय में प्रस्तुत किया।

R-3756-II/15 दतिया

11/12/18

आवेदक अभि0 श्री - अशोक भार्गव
अना0 अभि0 श्री - एस0 पी0
धाकड़ उप0 एवं श्री. आर0डी0 शर्मा उप0
प्रकरण S.D.O. को वापिस किया
जाना है।

सदस्य

24/12/18

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार सेवढ़ा के प्र.क्र. 1 अ 70/13–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–11–15 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नही रही है। तहसीलदार सेवढ़ा व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 4–11–15 के विरूद्व निगरानी कलेक्टर दतिया को होगी। तद्नुसार आवेदक सक्षम न्यायालय में इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है।

सदस्य